

अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता
किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर
बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा
प्र0सं0 57/2021 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2021	<p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/ 1316 दिनांक 26.10.2020 द्वारा ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा की आ0नं0 433 रकबा 9.02 बीघा में से 0.02 बीघा, 434 रकबा 2.05 में से 0.14 बीघा भूमि किस्म चरागाह कुल किता 2 रकबा 0.16 बीघा मौके पर कच्ची सड़क बनी होकर रास्ता चालु है जो चिताम्बा-गोरधनपुरा सड़क से मजरा बागरिया का बाड़िया को जोड़ता है। उक्त रास्ते का सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने-जाने में उपयोग हो रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2069 से 2072 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का प्रस्तुत किये। पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त ग्रेवल सड़क चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.01.2021 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	
19.01.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट/अभिशांषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p>:: आदेश ::</p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा की आ0नं0 433 रकबा 9.02 बीघा में से 0.02 बीघा, 434 रकबा 2.05 में से 0.14 बीघा भूमि किस्म चरागाह कुल किता 2 रकबा 0.16 बीघा मौके पर कच्ची सड़क बनी होकर रास्ता चालु है जो चिताम्बा-गोरधनपुरा सड़क से मजरा बागरिया का बाड़िया को जोड़ता है। उक्त रास्ते का सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने-जाने के उपयोग में हो रहा है। रास्ते के रकबा 0.16 बीघा को चारागाह के कुल रकबे में रखते हुए मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में डोट-डोट के रूप में करे एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	

SPP 57/2021
2021/108